भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 903

दिनांक 01.03.2016/11 फाल्गुन, 1937 (शक) को उत्तर के लिए

आई एस आई एस का खतरा

903. **श्री अनंतकुमार हेगड़े** :
कुंवर हरिवंश सिंह:
श्री एस.आर विजय कुमार:
श्री कपिल मोरेश्वर पाटील:
श्री के.अशोक कुमार:
डॉ. उदित राज:
श्री कमल नाथ:
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन:
डॉ. शशि थरूर:
डॉ. जे. जयवर्धन:
श्री विनायक भाऊराव राऊत:
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:
डॉ. सुनील बलीराम गायकवाड़:
श्रीमती किरण खेर:
श्रीमती आर. वनरोजा:
श्री दलपत सिंह परस्ते:
श्री टी.जी. वेंकेटेश बाबू:
श्री राहुल शेवाले:
श्री राहुल कस्वां:
श्री ए. अरूणमणिदेवन:
श्री हरीशचन्द्र उर्फ हरीश द्विवेदी:
श्रीमती रंजनबेन भट्ट:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में आई.एस.आई.एस. द्वारा युवाओं के कट्टरपंथी प्रयासों और भर्ती के साथ-साथ आई.एस.आई.एस. के प्रभाव और नटवर्क फैलाने की रिपोर्ट हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और एन.आई.ए. सहित विभिन्न एजेन्सियों द्वारा इस संबंध में की गई गिरफ्तारियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में आई.एस.आई.एस. की गतिविधियों के वित्तपोषण के संसाधनों का ब्यौरा क्या है और उक्त वित्त पोषण को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए है;

(घ) क्या आई.एस.आई.एस द्वारा देश में उनके नेटवर्क को फैलाने के लिए संचार नेटवर्क और सामाजिक मीडिया के उपयोग की रिपोर्ट है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं; और

(ड़) सरकार द्वारा उक्त खबरों से निपटने के लिए शहरों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर हमलों के खतरे के लिये प्राप्त और किये गये कदमों का ब्यौरा क्या है और देश में आई.एस.आई.एस. की गतिविधियों को रोकने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी**)

(क): **इस्लामिक स्टेट (आई एस)/इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवंट (आईएसआईएल)/इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (आईएसआईएस)/दाएश को आतंकवादी संगठन के रूप में अधिसूचित किया गया है और केन्द्र सरकार द्वारा इन्हें विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम**, 1967 **की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया है। यह संगठन विश्व भर से लोगों की भर्ती करने के लिए सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार से माया जाल रचता है। तथापि, इससे भारत के कुछ चंद युवा ही प्रभावित/आकर्षित हुए हैं।**

(ख): **हाल में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) और कुद्द राज्यों की राज्य पुलिस ने मामले दर्ज किए हैं और आईएसआईएस से जुड़े कुछ सक्रिय काडरों को गिरफ्तार किया है। अब तक, एनआईए ने जांच किए जा रहे मामलों में** 24 **अभियुक्तों (जम्मू एवं कश्मीर**-01, **कर्नाटक**-07, **मध्य प्रदेश**-01, **महाराष्ट्र**-07, **तमिलनाडु**-01, **तेलंगाना**-04 **और उत्तर प्रदेश**-03) **को गिरफ्तार किया है।**

(ग): भारत में आईएसआईएस का वित्त-पोषण अधिकांशत: स्व-वित्त-पोषण के जरिए है। तथापि, निधियां जुटाने के लिए एक या दो मामलों में हवाला चैनल का इस्तेमाल भी किया गया है।

सरकार के पास आतंकी वित्तपोषण और धन शोधन की समस्या से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए सुव्यवस्थित रणनीति एवं संस्थागत तंत्र मौजूद है। आतंकी वित्त पोषण और धन शोधन से संबंधित अपराधों से मुकाबला करने के लिए विधिविरूद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) प्रभावी साधन है। आतंकी वित्तपोषण की समस्या से निपटने हेतु एक एकीकृत नीति के लिए केंद्रीय आसूचना / प्रवर्तन एजेंसियों तथा राज्य विधि प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय करने के लिए गृह-मंत्रालय में वर्ष 2011 में आतंकी वित्तपोषण से मुकाबला (सीएफटी) नामक विशेष प्रकोष्ठ बनाया गया है। आतंकी वित्तपोषण के मामलों की जांच करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी में एक आतंकी वित्तपोषण एवं जाली मुद्रा प्रकोष्ठ की भी स्थापना की गई है।

वर्ष 2013 में किए गए संशोधनों द्वारा विधिविरूद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 को मजबूती प्रदान की गई है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, आतंकवाद हेतु प्रयोग के आशय वाली किसी संपत्ति को शामिल करने के लिए आतंकवाद से होने वाली आय के दायरे को विस्तृत करना, किसी आतंकवादी संगठन, आतंकवादी गैंग अथवा किसी आतंकवादी द्वारा कानूनी अथवा गैर-कानूनी दोनों तरीकों से निधियां जुटाने के कार्य करने को इसके दायरे में शामिल करते हुए आतंकी कृत्य हेतु निधियां जुटाने के लिए सजा से संबंधित धारा-17 के दायरे को बढ़ाना, शामिल हैं और कंपनियों, सोसाइटियों अथवा ट्रस्टों द्वारा किए जाने वाले अपराध भी इसके दायरे में शामिल है।

अनुसूचित अपराधों के लिए वित्तीय सीमा को हटाने से संबंधित प्रावधानों को समाविष्ट कर, धन शोधन जांच के संबंध में कुर्की-जब्ती की अनंतिम शक्तियों को मजबूती प्रदान कर, पीएमएलए के दायरे में नए वित्तीय संस्थानों तथा नामित गैर-वित्तीय व्यवसायों एवं पेशों को शामिल कर, बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों से सूचना प्राप्त करने के लिए वित्तीय आसूचना यूनिट (एफआईयू) की शक्तियों में वृद्धि कर और रिपोर्ट करने वाले संस्थानों के नामित निदेशकों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध प्रतिबंध को शामिल करते हुए पीएमएलए के अधीन व्यापक प्रतिबंधों की शुरूआत कर वर्ष 2013 में पीएमएलए को भी मजबूती प्रदान की गई है। इस प्रकार धन शोधन एवं आतंकी वित्त पोषण से मुकाबला करने के लिए पीएमएलए तथा यूएपीए, दोनों में पर्याप्त कठोर प्रावधान मौजूद है।

(घ) से (ङ): आईएसआईएस दुष्प्रचार और अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के लिए इंटरनेट आधारित विभिन्न मंचों का इस्तेमाल कर रहा है। आसूचना और सुरक्षा एजेंसियां साइवर जगत की गहनता से निगरानी करती हैं ताकि भर्ती होने के इच्छुक लोगों की पहचान की जा सके और उन पर चौकसी रखी जा सके एवं आवश्यकता पड़ने पर आगे की कार्रवाई की जा सके।

आईएसआईएस/आईएसआईएल के खतरे का आकलन करने और उससे निपटने के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति बनाने के उद्देश्य से गृह मंत्रालय ने दिनांक 01.08.2015 और 16.01.2016 को क्रमश: संबंधित सभी केन्द्रीय एजेंसियों और राज्य सरकारों के साथ बैठकें की हैं।

सरकार ने आईएसआईएस के इस प्रारंभिक खतरे का मुकाबला करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में और खुलासा नहीं किया जा सकता है।